

(प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 813

दिनांक 08/12/2021

-:आदेश:-

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार, दांतारामगढ़ के आधार पर, जहाँ दांतारा प. ह. जौड़ा के स्थान पर 50 मी. खालदार जोड़ा हुआ परका के स्थान पर जोड़ित पुनः परमारक द्वारा करने के आदेश कि जाते हैं। इसी की न्यायालय का स्थान आदेश के दोष को करे।

तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे !

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी-दांतारामगढ़

जिला-सीकर(राजस्थान)

दांतारामगढ़ तहसील
उपखण्ड अधिकारी-दांतारामगढ़